# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

## ।। परिपत्र ।।

क्रमांक– 854 /दो–12–48/02 कटनी दिनांक 02/05/24

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि इस स्थापना पर कार्यरत कर्मचारीगण, कार्यालय आने–जाने हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहन को बिना हेलमेट के चला कर कार्यालय आते है तथा अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क भी नहीं करते है। वाहन चलाते समय हेलमेट को न लगाया जाना अति गंभीर स्थिति है तथा हेलमेट न लगाये जाने से किसी भी दुर्घटना में अत्याधिक क्षति पहुचने की भी संभावना होती है।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से इस स्थापना पर पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि वह कर्मचारी जो न्यायालय आवागमन हेतु वाहन का उपयोग करते है वह दिनांक 06.05.24 से आवश्यक रूप से हेलमेट पहन कर वाहन चलाया जाना सुनिश्चित करेगे तथा अपने अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्टैंड में लगाया जाना भी सुनिश्चित करेगे।

अगर कोई कर्मचारी बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुये पाया जाता है तथा अपने वाहन को निर्धारित पाकिंग स्थल पर नहीं लगाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक /दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**
प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.

पृ.क्रमांक–1058 /दो–12–48/02 कटनी दिनांक 02/05/24
प्रतिलिपि :–

1. तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण समस्त जिला न्यायालय कटनी की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ प्रेषित।

2. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट कटनी की ओर सर्वसंबंधित को इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रेषित किये जाने एवं बेवसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

**( धरमिन्दर सिंह राठौड )**
प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.